

08/4/24

पत्तावली पेना हुई। अधि. उक्त पक्षकारान मय पक्षकारान
अनुपास्थित। रक्त-रक्त कर लीन बाद आगमे पिलकरी गई।
रक्त स्रोत उपलब्ध हो चुका है। अतः अधिवक्ता उक्त पक्षकारान
मय पक्षकारान के अनुपास्थित रहने पर वादी का वाद एवं
उत्तिवादी का उत्तिवाद अफम हाजरी व अफम पेशी में रवाशि
किता जाता है। पत्तावली मॉसल शुमार होकर नमवर से कर
हो।

निर्णय सुते रिजताशन सुनाया गया।

